(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बंशीधर सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2026/36**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.26	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की टिप्पणी पत्रांक प.13(5)(सामान्य)/2025/5979/155 दिनांक 24.02.2026 से प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत बबाई, तहसील खेतड़ी के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच के द्वारा असामाजिक तत्वों से मिलकर पट्टेशुदा आम रास्ते की भूमि को खुर्द–बुर्द करने व सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने से सम्बन्धित है, जो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुन्झुनू के स्तर पर जांच में प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जॉच (इनक्वायरी) प्रक्रिया प्रकटन से सम्बन्धित होने से इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही है। कृपया अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा जॉच में प्रक्रियाधीन पत्रावली से सम्बन्धित सूचना में चाही गई है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना अवश्यक नही होने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रतिलिपि उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(पूनम)** (अपीलेट अधिकारी) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	